BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 जून 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 4800-4800 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. पवन 2. सैंकी पुत्रगण हरेन्द्र 3. मुकेश 4. राजेश उर्फ राकेश पुत्रगण नेमपाल 5. पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासीगण ग्राम याकूबपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी धर्मेन्द्रपाल पुत्र शिव सिंह निवासी ग्राम याकूबपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर के घर में घुसकर वादी धर्मेन्द्र उपरोक्त व उसके भाई ऋषिपाल व अजब सिंह के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2020 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 10/2020 धारा 148/452/323/149/325/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.02.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 29.06.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-12 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. पवन, 2. सैंकी, 3. मुकेश, 4. राजेश उर्फ राकेश व 5. पुष्पेन्द्र उपरोक्त को 03-03 वर्ष का कारावास व 4800-4800 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार व श्री प्रवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर